बिजनौर पुलिस

PRESS NOTE

Date:- 28-07-2022

थाना ए0एच0टी0यू0 व बाल संरक्षण अधिकारी, जनपद बिजनौर की संयुक्त टीम द्वारा मानव तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, मानव तस्करी में प्रयुक्त 01 सैन्ट्रो कार, 01 महिन्द्रा पिक-अप तथा खरीद-फरोख्त में प्रयुक्त 49,000/- रुपये सहित 07 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कुल 24 (किशोर तथा व्यस्क) को कराया बंधन मुक्त।

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में मानव तस्करी, बाल श्रम व बंधुआ मजदूरी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 28.07.2022 को समय प्रातः 03.15 बजे मुखबिर की सूचना पर बिजनौर-नूरपुर रोड पर कृष्णा कॉलेज के पास से अभियुक्तगण 1.दयाराम साहू उर्फ जयराम कुमार उर्फ दयासाहू (उम्र करीब 26 वर्ष) पुत्र गोविन्द साहू निवासी ग्राम लमटा थाना लवालौग पोस्ट सिबरापुर जिला चतरा (झारखण्ड़) 2.अजय कुमार यादव (उम्र करीब 28 वर्ष) पुत्र रामस्वरुप यादव नि0 ग्राम लोटवा थाना कुन्डां जिला चतरा (झारखण्ड) 3.हरेन्द्र कुमार (उम्र करीब 22 वर्ष) पुत्र रामप्रसाद साहू नि0 ग्राम लमटा थाना लावलौग जिला चतरा (झारखण्ड) 4.सतेन्द्र कुमार त्यागी (उम्र करीब 58 वर्ष) पुत्र बलजीत सिंह त्यागी नि0 ग्राम पुबैना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर 5.शोभित त्यागी (उम्र करीब 32 वर्ष) पुत्र सतेन्द्र त्यागी नि0 ग्राम पुबैना थाना नूरपुर जिला बिजनौर 6.कपिल त्यागी (उम्र करीब 34 वर्ष) पुत्र सुरेन्द्र त्यागी नि0 मौ0 सईद नगर थाना नूरपुर जिला बिजनौर 7.अतुल त्यागी (उम्र करीब 30 वर्ष) पुत्र राकेश कुमार त्यागी नि0 ग्राम पुबैना थाना नूरपुर जिला बिजनौर को मानव तस्करी, बाल श्रम व बंधुआ मजदूरी में प्रयुक्त 01 सैन्ट्रो कार नं0 HR23B9330 व एक महिन्द्रा पिक-अप नं0 JH13E7380 तथा बच्चों की खरीद-फरोख्त में प्रयुक्त 49,000/- रुपये सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 12 नाबालिग (किशोर) तथा 12 व्यस्कों (पुरुष) (कुल 24) को बंधन मुक्त कराया गया । इस सम्बन्ध में थाना ए0एच0टी0यू0 पर मु0अ0सं0 01/22 धारा 370 भादवि व धारा 3/14 बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम, 1986 व धारा 16/17 बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ में बताया कि वे सभी आपस में पूर्व से परिचित है तथा बिजनौर आते-जाते रहते थे, इसलिये उनका यहाँ लोगों से परिचय हो गया। वे गरीब परिवारों के बच्चों को पैसो का लालच तथा काम/नौकरी दिलाने के नाम पर उनको यहाँ पर लाते है तथा किसानों एव साहुकारों से उनका सौदा करके उन्हे बेच देते है तथा अच्छा-खासा पैसा कमाते है व आपस में बांट लेते है। इससे पूर्व में भी वे कुछ व्यक्तियों को झारखंड से बिजनौर लेकर आये थे, जिनको राह चलते किसानो तथा साहुकारों को बेच दिया था। वे गरीब घरों के बच्चो तथा अन्य व्यक्तियो को पैसों का लालच देकर तथा डरा-धमकाकर हरिद्वार व अन्यत्र स्थानों पर घुमाने-फिराने के बहाने से ले जाते है तथा उनको राह चलते लोगों को बेच देते है। दिनांक 27.07.2022 को भी वे झारखंड से बिजनौर में सम्पर्क स्थापित कर तथा पैसों का सौदा करके झारखण्ड से चले थे तथा सभी बच्चों को जनपद बिजनौर में लाकर रात्रि में बच्चों की खरीद-फरोख्त कर रहे थे, कि पुलिस ने उन्हे पकड लिया।

अभियुक्तगण द्वारा बच्चो को झारखण्ड से नौकरी तथा काम दिलाने का झांसा देकर लाया गया था। गरीब परिवार के बच्चो व उनके परिवार वालो को रुपये का लालच दिया जाता है साथ ही उन्हे कुछ रुपये एडवांस देकर साथ लाते थे, फिर उन्हे मोटी रकम मे बेच देते थे । अभियुक्तगण को रिमाण्ड पर लेकर इनके द्वारा पूर्व में झारखंड

राज्य से बच्चों को लाकर बिजनौर में कब-कब, कहाँ-कहाँ तथा किसको बेचा गया गया, इसकी जानकारी की जा रही है। अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्तगण का विवरणः-

1.दयाराम साहू उर्फ जयराम कुमार उर्फ दयासाहू (उम्र करीब 26 वर्ष) पुत्र गोविन्द साहू निवासी ग्राम लमटा थाना लवालौग पोस्ट सिबरापुर जिला चतरा (झारखण्ड़)
2.अजय कुमार यादव (उम्र करीब 28 वर्ष) पुत्र रामस्वरुप यादव नि0 ग्राम लोटवा थाना कुन्डां जिला चतरा (झारखण्ड)
3.हरेन्द्र कुमार (उम्र करीब 22 वर्ष) पुत्र रामप्रसाद साहू नि0 ग्राम लमटा थाना लावलौग जिला चतरा (झारखण्ड)
4.सतेन्द्र कुमार त्यागी (उम्र करीब 58 वर्ष) पुत्र बलजीत सिंह त्यागी नि0 ग्राम पुबैना थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
5.शोभित त्यागी (उम्र करीब 32 वर्ष) पुत्र सतेन्द्र त्यागी नि0 ग्राम पुबैना थाना नूरपुर जिला बिजनौर
6.कपिल त्यागी (उम्र करीब 34 वर्ष) पुत्र सुरेन्द्र त्यागी नि0 मौ0 सईद नगर थाना नूरपुर जिला बिजनौर
7.अतुल त्यागी (उम्र करीब 30 वर्ष) पुत्र राकेश कुमार त्यागी नि0 ग्राम पुबैना थाना नूरपुर जिला बिजनौर

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 01/22 धारा 370 भादवि व धारा 3/14 बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियम) अधिनियम, 1986 व धारा 16/17 बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 थाना ए0एच0टी0यू0 जनपद बिजनौर।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

प्रभारी निरीक्षक श्री अजित रोरिया, उ0नि0 श्री आनन्द स्वरूप शर्मा, कां0 अंकित राणा, कां0 रोहित
श्रीमती रूबी गुप्ता, बाल संरक्षण अधिकारी,

<u>थाना बढ़ापुरः-</u> आज दिनांक 28.07.2022 को थाना बढ़ापुर पुलिस द्वारा 1 नफर वारंटी अभियुक्त राहुल पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम भगवानपुर थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर संबंधित वाद संख्या 356/14 मुकदमा अपराध संख्या 43/15 धारा 325/324/504/506 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>थाना किरतपुरः-</u> आज दिनांक 28.07.2022 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त आसिफ पुत्र मैहरदीन निवासी ग्राम जहांगीरवाला थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को मुकदमा अपराध संख्या 225/22 धारा 376 /452/ 506 तथा 3/4 पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>थाना स्योहाराः-</u> आज दिनांक 28.07.2022 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 02 नफर अभियुक्त गण 1.बबलू 2.देवेंद्र पुत्रगण रामपाल सिंह निवासीगण कमला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर मुकदमा अपराध संख्या 372/22 धारा 323,504,506,308 आईपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना स्योहाराः- आज दिनांक 28.07.2022 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 09 नफर अभियुक्तगण 1.संजय सिंह पुत्र रमेश सिंह 2. परविंदर पुत्र संजय सिंह 3. मनोहर सिंह पुत्र भगवान सिंह सर्व निवासी गांव ग्राम पालनपुर थाना स्योहारा जिला बिजनौर 4.दिलशाद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी ग्राम पालनपुर 5. रिफाकत पुत्र मोहम्मद अफसर निवासी मोहल्ला मिल्कियान 6. मोहम्मद रफी पुत्र इदरीश निवासी मोहल्ला मिल्कियांन 7. उमेर पुत्र की निवासी मोहल्ला उपरोक्त.8.आसिफ पुत्र हबीब उम्र 26 वर्ष निवासी मोहल्ला इस्लामनगर कस्बा व थाना स्योहारा जिला बिजनौर 9.शराफत पुत्र हुसैन बख्श निवासी ग्राम पीथापुर थाना स्योहारा जिला बिजनौर को धारा 151,107,116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

थाना किरतपुरः- आज दिनांक 28.07.2022 को थाना किरतपुर पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त अब्दुल मुतलिब उर्फ गोलू पुत्र मोहम्मद राशिद निवासी मोहल्ला राधगान थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को वाद संख्या 2594/17 धारा 354 आईपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया गया।

<u>थाना हीमपुर दीपाः-</u> आज दिनांक 28.07.2022 को थाना हीमपु दीपा पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त 1.आलम पुत्र अनवार अहमद उम्र-36 वर्ष निवासी ग्राम पीर उमरी थाना हीमपुर दीपा बिजनोर को धारा -151 सी.आर.पी.सी में गिरफ़्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

बिजनौर पुलिस

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

थाना रेहड़ः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना धामपुरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना को शहरः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

थाना मण्डावलीः- मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में #MissionShakti कार्यक्रम के अन्तर्गत #BijnorPolice के समस्त थानों पर स्थापित #महिला हेल्प डेस्क पर महिला फरियादियों की समस्या सुनते हुए महिला पुलिसकर्मी।

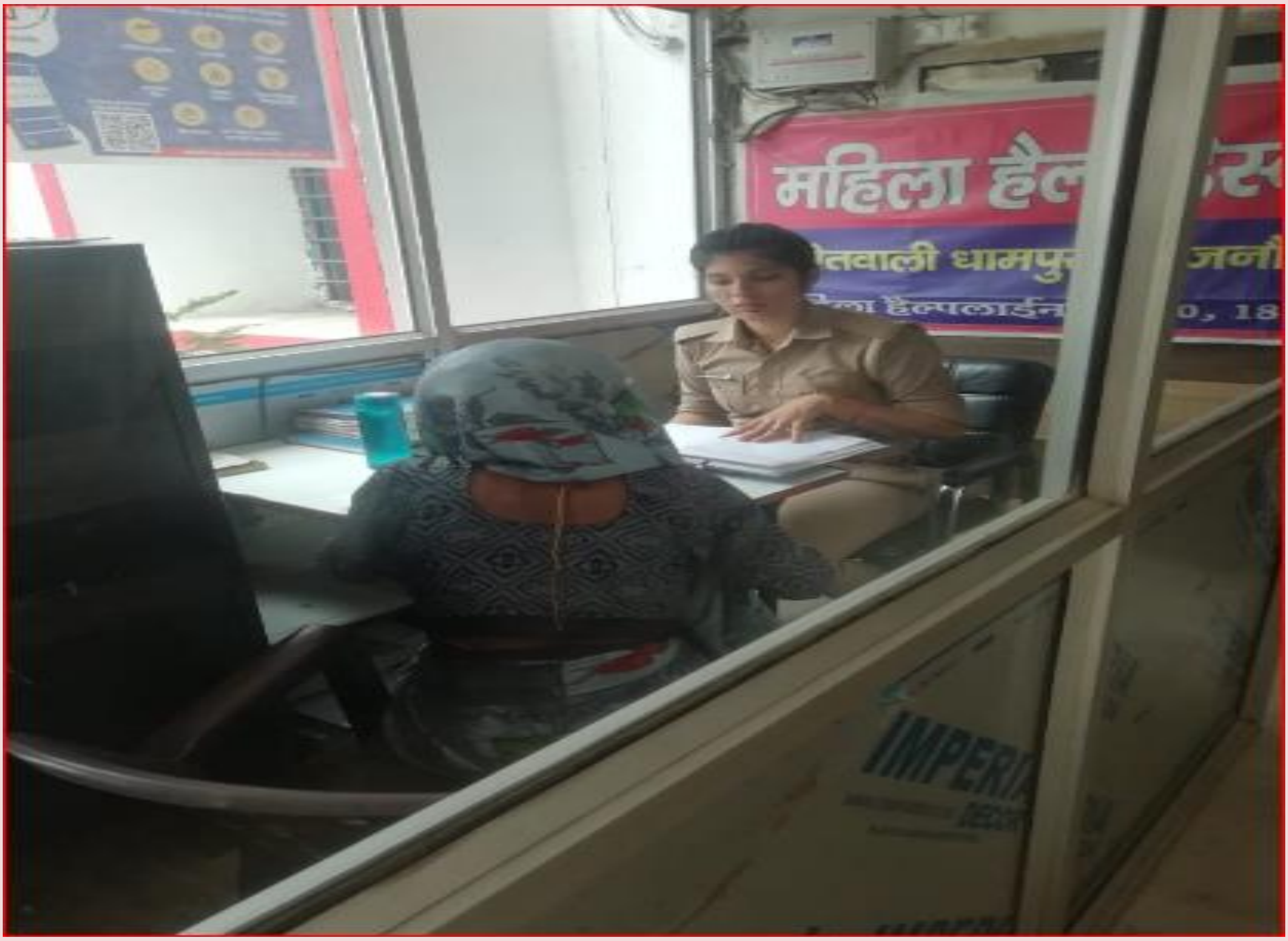

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा, नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन
थाना- शेरकोट, जनपद - बिजनौर पुलिस
सदैव आपकी सेवा में तत्पर
1090
181
1076
112
1098
102
108

181
थाना शिवाला कलां जिला-
मिशन
नारी स्वावलंबन
1090
181
1076
112
1098
(शलभ माथुर)
(शुभ सुचित)